विषय: वर्ष 2010-11 के दौरान परियोजना बिक्री के लिए नीति के दिशानिर्देश|

1.0 निर्माण एवं विकास आशयों के लिए माल लेने वाले ग्राहक परियोजना ग्राहक के रूप में वर्गीकृत है| परियोजना ग्राहकों को निम्नलिखित अनुसार व्यापक रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है:

क्र सं.	श्रेणी	कार्य की प्रकृति	आवश्यक दस्तावेज
1	2	3	4
अ	सभी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम/राज्य के सार्वजनिक उपक्रम/स्थानीय इकाइयाँ नगर निगम/जिला परिषद/राज्य निगम जैसे स्वायत्त निकाय|	निर्माण कार्य/निर्माण कार्यों या मौजूदा इकाइयों के रखरखाव /विस्तार/नई परियोजनाओं के लिए संविदाएँ	शून्य
आ	संस्थागत क्रेता (सिर्फ पब्लिक लिमिटेड को व प्राइवेट लिमिटेड कं)	निर्माण कार्य/मौजूदा इकाइयों के रखरखाव/विस्तार/नई परियोजनाओं के लिए फेब्रिकेटर	शून्य
इ	उपर्युक्त अ व आ के ठेकेदार	निर्माण कार्य/उनके ग्राहकों के लिए फेब्रिकेटर	अनुलग्नक-II में सूचित प्रपत्र में वचन (प्रपत्र संलग्न है)
ई	सेवा केंद्र	बार बेंडिंग प्रोफाइलिंग का वचन/उनके ग्राहकों के लिए फेब्रिकेटर	
उ	गैर-सरकारी संगठन, शिक्षा संस्थाएँ, सार्वजनिक उपयोगिता, धार्मिक इकाइयाँ, धर्मार्थ न्यास, आदि	निर्माण कार्य /भवन के निष्पादन /अन्य परियोजनाओं के लिए फेब्रिकेटर	
ऊ	वैयक्तिक मकान निर्माता	अपने मकान के निर्माण कार्य	
ऋ	श्रेणियों में परियोजना के अधीन बिक्री/उचित न्यायोचित पद्दति के अनुसार उपर्युक्त में न आनेवाली संस्था|		अनुलग्नक-II में सूचित प्रपत्र में वचन| (प्रपत्र संलग्न है) महा प्रबंधक के अनुमोदन से सामग्री की आपूर्ती की जाए|

2.0 उपर्युक्त कॉलम-3 में सूचित आशयों के लिए सामग्री लेने वाले सभी ग्राहक परियोजना ग्राहक के रूप में वर्गीकृत है| विभागाध्यक्ष (विपणन) के अनुमोदन से अन्य कोई भी कार्य परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है|

3.0 परियोजना बिक्री ग्राहकों को किसी न्यूनतम मात्रा की जरूरत नहीं है| स्पॉट बिक्री के आधार पर 500 एम टी प्रति वर्ष तक परियोजना आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है| 500 एम टी या उससे ज्यादा सामग्री प्रति वर्ष लेनेवाले सभी परियोजना ग्राहक उनसे लदाई की जानेवाली मात्रा को सूचित करते हुए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के पात्र होंगे| समझौता ज्ञापन का सुझाया गया प्रपत्र अनुलग्नक -1 में है| हालांकि, किसी पार्टी द्वारा मार्च में 3000 एम टी से ज्यादा मात्रा की आवश्यकता होने पर उसकी जानकारी मुख्यालय के परियोजना बिक्री अनुभाग को सूचनार्थ तथा अनुश्रवण के लिए देनी होगी|

3.0अ प्रेषिती विक्रेता भी हो सकता है या वितरण आदेश लेते समय विक्रेता द्वारा सूचित/कथित अनुसार विक्रेता के अलावा अन्य व्यक्ति भी हो सकता है; बशर्ते कि संबद्ध परियोजना से संबंधित माल के उपयोग के लिए प्रेषिती से संबंध स्थापित करने हेतु संबद्ध वरिष्ठ शाखा प्रबंधक/शाखा प्रबंधक द्वारा पी ओ/कार्य आदेश जैसे संबंधित कागजातों की जाँच की जानी होगी। उपर्युक्तानुसार उठाई गई मात्रा भी समझौता ज्ञापन में शामिल है।

4.0 सामान्यतः, दि.31 मार्च, 2011 तक की अवधि के लिए समझौता ज्ञापन किया जाएगा। हालांकि, ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार तीन महीने की अल्पावधि अवधि के लिए के भी समझौता ज्ञापन करने की अनुमति दी गयी है। ऐसी अल्पावधि समझौता ज्ञापन की आखिरी तिमाही को तिमाही-वार पूर्ति की आवश्यकताओं के मूल्यांकन के लिए चौथी तिमाही के समतुल्य कर सकते हैं।

कुल मात्रा प्रोत्साहन योजना:

5.0 सभी परियोजना ग्राहक समझौता ज्ञापन की सफलतापूर्वक पूर्ति करने पर, निम्नसूचित अनुसार फ्लेट स्लॉब में योग्य मात्रा से संबंधित कुल मात्रा प्रोत्साहन के पात्र होंगे, बशर्ते कि निम्नसूचितानुसार पात्रता के मानदंड की पूर्ति करें:

कुल मात्रा प्रोत्साहन में रुपए प्रति एम टन	पी एस-1 वर्ष 2010-11 में लदाई	
	से अधिक (एम टी)	तक (एम टी)
50	500	2400
75	2400	7200
100	7200	14400
125	14400	25000
150	25000	50000

6.0 अनुच्छेद 2.11 के अनुसार तिमाही मात्रा और समझौता ज्ञापन की मात्रा/संशोधित समझौता ज्ञापन की मात्रा में से न्यूनतम 90% उठाई करने वाले ग्राहक टी क्यू आई के पात्र होंगे और समझौता ज्ञापन की पूर्ति में सफल माने जाएँगे।

7.0 ग्राहक द्वारा उठाई गयी सभी मात्राएँ (समझौता ज्ञापन में सूचित उत्पाद), समझौता ज्ञापन की पूर्ति के लिए विचार किए जाएंगे। हालांकि, सामान्य बिक्री (अग्रिम आदेश तथा स्थल पर बिक्री) के माध्यम से उठाई गई मात्रा के लिए टी क्यू आई लागू होगा। निविदा और ई-नीलामी के माध्यम से उठाई गई मात्रा को समझौता ज्ञापन की पूर्ति के लिए विचार किया जा सकता है और इन मात्राओं पर टी क्यू आई लागू नहीं होगा। यदि समझौता ज्ञापन अधिक संख्या में हो तो, ऐसी मात्राओं को अन्य समझौते ज्ञापन के बीच ग्राहक के वांछितानुसार वितरण किया जा सकता है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के समय ग्राहक ऐसे विकल्प दे सकते हैं।

8.0 समूह/संबद्ध सहायकों द्वारा उठाई गई सभी मात्राओं को इस समझौते ज्ञापन से संलग्न परियोजना ग्राहक को टी क्यू आई योजना के अधीन लागू सीमा निर्धारित करने हेतु शामिल करने की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में परियोजना ग्राहकों को समझौता ज्ञापन में अपने समूह/संबद्ध सहायकों का नाम प्रस्तुत करना होगा। परियोजना ग्राहकों को समूह/संबद्ध सहायकों का नाम सूची में शामिल कराने के लिए पंजीकरण का प्रमाण पत्र या उनके संघ के सबूत को प्रस्तुत करना होगा। बाद में किए जानेवाले ऐसे सभी जोड़ निदेशक (वाणिज्य) के अनुमोदन से किए जाने चाहिए। समूह/संबद्ध सहायकों के माध्यम से पूरे भारत में

अपनी उपस्थित रखनेवाले परियोजना ग्राहक विविध शाखाओं से सामग्री उठा सकते हैं। टी क्यू आई योजना के लागू स्लॉब के अधीन आने के लिए परियोजना ग्राहकों (समूहों/संबंधित सहयोगी को मिलाकर) द्वारा सभी शाखाओं से की गई संयुक्त उठाई को विचार में लेने का निर्णय लिया गया।

9.0 ग्राहक अपनी खपत के लिए आवश्यक किसी एक या उत्पादों के मिश्रण का चयन कर सकता है और उत्पाद-वार ब्रेक-अप के साथ संपूर्ण मात्रा के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर सकता है।

क्र सं	कोड नंबर	उत्पाद
1	पी एस-1	रीबार्स, संरचना व राउंड्स (सभी श्रेणियाँ) और अपनी खपत के लिए आवश्यक तथा निर्माण आशय हेतु उपयोगी अन्य कोई उत्पाद।

10.0 परस्पर करार के आधार पर समझौता ज्ञापन के अधीन मात्राओं को बढ़ाया जा सकते हैं, बशर्ते कि अनुरोध की प्राप्ति के समय उठाई गई मात्रा समझौता ज्ञापन की मात्रा से 90% कम हो। समझौता ज्ञापन की अवधि की समाप्ति के कम से कम तीन महीने पहले ग्राहक द्वारा इस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। चूंकि परियोजना ग्राहक की आवश्यकता निर्माण अनुसूचियों और नए कार्यों की प्राप्ति पर निर्भर होता है, अतः उन्हें समझौता ज्ञापन की अवधि में इस विकल्प को दो बार उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, वित्तीय वर्ष के आखिरी तिमाही में मात्राओं में वृद्धि के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।

11.0 समझौता ज्ञापन के अधीन मात्राओं को मूल समझौता ज्ञापन की मात्रा के 90% तक कम किया जा सकता है। समझौता ज्ञापन की अवधि की समाप्ति के कम से कम तीन महीने पहले ग्राहक द्वारा इस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को समझौता ज्ञापन की अवधि के दौरान किसी भी समय समझौता ज्ञापन की मात्रा को 90% तक कम करने का विकल्प है।

12.0 पात्र मात्रा की उठाई करने पर टी क्यू आई का भुगतान किया जाएगा, बशर्तें कि सफलतापूर्वक समझौता ज्ञापन की पूर्ति हो, लेकिन मूल/बढ़ाई गई समझौता ज्ञापन की मात्रा अधिकतम 120% तक उठाई गई हो। नीति के अधीन दी गयी अनुमति के अनुसार ग्राहक यदि मात्रा को कम करने के विकल्प का उपयोग किए जाने पर, समझौता ज्ञापन की कम की गयी मात्रा पर टी क्यू आई लागू होगा। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा मात्रा को कम करने का विकल्प का उपयोग किए जाने पर, कम की गयी समझौता ज्ञापन की मात्रा का 120% तक टी क्यू आई लागू होगा।

13.0 फ्लेट सीमा के आधार पर उपर्युक्त सारणी 5.0 में सूचीतानुसार समझौता ज्ञापन की मात्रा के अनुरूप ग्राहक टी क्यू आई के लिए पात्र होंगे। टी क्यू आई की राशि पूर्ण और एकमुश्त होगी और सीमा शुल्क, शिक्षा कर, बिक्री कर, वेट आदि जैसे सांविधिक उगाही के लिए किसी प्रकार के समायोजन के बिना साख सूचना के माध्यम से जारी की जाएगी।

14.0 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा समझौता ज्ञापन की अवधि के पिछले महीने के दौरान यदि आमोदित आदेशों के तहत माल की आपूर्ती नहीं किए जाने पर, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड अपने विवेक से ऐसी मात्राओं की पूर्ति करने या तत्पश्चात महीने के लिए समझौता ज्ञापन की अवधि को बढ़ाने के संबंध में विचार कर सकता है।

15.0 टी क्यू आई के पात्र होने के लिए ग्राहकों को कम से कम उठाई के निम्नतम मानदंडों की पूर्ती करनी है|

अ) तिमाही-1 के समझौता ज्ञापन – प्रथम दो तिमाहियों में 40%, यानि दि.30 सितंबर, 2010 तक|

आ) तिमाही-2 के समझौता ज्ञापन – तिमाही–2 में उठाई 20%, तिमाही 2 व 3 में 55%.

इ) तिमाही–3 के समझौता ज्ञापन – तिमाही-3 में 40% उठाई|

ई) वार्षिक पूर्ती-कुल समझौता ज्ञापन का 90%

उपर्युक्त (अ), (आ), (इ) में सूचित मानदंड के अनुसार पूर्ती करने में विफल ग्राहक, उपर्युक्त (ई) की पूर्ती करने पर लागू अनुसार उपलब्ध टी क्यू आई राशि का 90% के लिए पात्र होंगे| निर्दिष्ट तिमाही के अंत में समझौता ज्ञापन की मात्रा पर प्रतिशतता लागू होगी| अनुसूची पर/कार्य की प्रगत, विविध प्रतिशतताएँ परियोजनाओं की आवश्यकताओं के आधार पर महा प्रबंधक (विपणन) के अनुमोदन से स्वीकृत की जाएगी|

बिक्री प्रक्रिया:

16.0 परियोजना ग्राहक अपनी नियमित आवश्यकताओं को पहले से सूचित कर सकते हैं| शाखा कार्यालय ऐसी आवश्यकताओं को पंजीकृत करके उस शाखा को प्राप्त सामग्री के अनुसार बिक्री नीति के तहत परियोजना बिक्री के लिए आबंटित मात्रा से इन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है| ग्राहक से स्वीकृत अनुसूची के अनुसार आदेशित मात्राएँ सीमित होंगी| सामग्री परियोजना ग्राहक द्वारा के लिए आदेश देने हेतु प्रतिभूति जमा भराने की जरूरत नहीं है|

17.0 परियोजना ग्राहक पति महीने 5वीं तारीख तक शाखा कार्यालय को अपनी आकृतिवार व श्रेणीवार आवश्यकता सूचित करेंगे| ग्राहकों द्वारा प्रदर्शित आवश्यकताओं, प्राप्त प्रेषण योजना और तदुपरांत महीने में अनुमानित माल के संबंध में विचार करने के पश्चात शाखा कार्यालय ग्राहकों को उपलब्ध मात्रा पर विचार करता है| ऐसी उपलब्धता और वितरण अनुसूची की संभाव्यता के संबंध में ग्राहकों को 10वीं तारीख तक सूचित **किया जाएगा**| वितरण अनुसूची की अवधि 45 दिनों तक हो सकती है| स्वीकृत योग्य वितरण अनुसूची को तय करने के लिए शाखा कार्यालय संकेतिक रोलिंग योजना पर विचार कर सकता है|

18.0 बिक्री नीति में परिभाषित प्रतिशत के अनुसार परियोजना के लिए माल की उपलब्धता के आधार पर परियोजना ग्राहकों को उपर्युक्त 17.0 में सूचित दिनांक के उपरांत भी सामग्री की आवश्यकता प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी| बिक्री लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यदि परियोजना बिक्री के आबंटन में कोई अबद्ध हो तो क्षेत्रीय प्रबंधक के अनुमोदन से प्रत्येक महीने 25वीं तारीख को स्थल बिक्री की ओर बदल सकते हैं|

19.0 उपलब्धता और वितरण अनुसूची की प्राप्ति पर, ग्राहक वितरण अवधि की उपयुक्तता और उन्हें सूचित मात्रा पर विचार कर सकते है और अपना क्रय आदेश उस महीने की 15वीं तारीख तक दे सकते हैं| एक खास उत्पाद, आकृत व श्रेणी को एक अलग आवश्यकता के रूप में विचार किया जाएगा और 12 एम टी तक सामग्री की कम उठाई को असफलता के रूप में नहीं माना जाएगा| पहले सूचितानुसार, सामग्री की उठाई के संबंध में ग्राहक द्वारा बार-बार असफल होने पर फिर से सामग्री के लिए ग्राहक को अपनी आवश्यकता प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी|

दर:

20.0 विनिर्दिष्ट रूप से अनुमोदित को छोड़कर वितरण के समय मौजूदा दर ही लागू होंगे| क्षेत्रीय प्रबंधक कैलंडर महीने के अंत तक वितरण करने हेतु संस्था के दर को कोट करने का अधिकार रखते है|

20.0अ श्रेणी अ के ग्राहकों द्वारा लगाई गई निविदा कोट करने के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन| (परियोजना बिक्री नीति की मद सं.1 के अनुसार)

अवधि	दर का स्तर	प्रत्यायोजन
निविदा खोलने की तारीख से 30 दिनों की अवधि में वितरण के लिए संस्था के दर को बनाए रखना		वितरण आदेश की स्थिति का दर (बी एल पी वि आ की स्थिति के बट्टा की कटौती) से या कोटिंग के समय उच्च	क्षेत्रीय प्रबंधक
निविदा खोलने की तारीख से 90 दिनों की अवधि में वितरण के लिए संस्था के दर को बनाए रखना		वितरण आदेश की स्थिति का दर (बी एल पी वि आ की स्थिति के बट्टा की कटौती) से या कोटिंग के समय उच्च	विभागाध्यक्ष (विपणन)

21.0 एम ओ पी के निम्न स्तर की दर सूची, एल डी खंड के लिए पहले से विभागाध्यक्ष (विपणन) का अनुमोदन लेना है|

22.0 इस नीति में किसी भी प्रकार के परिवर्तन हेतु निदेशक (वाणिज्य) के अनुमोदन की आवश्यकता है|

23.0 यह परियोजना बिक्री नीति सामान्यतः बिक्री नीति के निबंधनों के अनुसार होगी| फिर भी, ऊपर सूचित विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में, विभेद होने पर, बिक्री नीति में सूचित प्रावधानों का अधिक्रमण किया जाएगा|

अनुलग्नक-1

समझौता ज्ञापन

(श्वेत पत्र पर दिया जाय)

बाजार की संभाव्य आवश्यकतओं को जानने की दृष्टि से और समय-समय पर इस्पात सामग्री की आपूर्ती करने हेतु राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा उत्पादन योजना तय करने के लिए इस समझौता ज्ञापन पर ....वीं तारीख ....महीने.............वर्ष को राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (रा इ नि लि) और...(इसके बाद ग्राहक बुलाया जाएगा) के बीच हस्ताक्षर किया गया|

इस समझौता ज्ञापन की वैद्यता की अवधि एक (1) वर्ष (या उसके अंतर्गत) दि.................से ....तक होगी और इसमें सामग्री की निम्नलिखित श्रेणियाँ तथा मात्राएँ शामिल होंगी|

कोड नं.	इच्छुक उत्पाद	आवश्यक मात्रा (एम टी)
कुल मात्रा		

ऊपर सूचित उत्पादवार मात्रा केवल संकेतिक है और समझौता ज्ञापन कुल मात्रा के लिए है|

ग्राहक से पुष्टि ली जाती है कि निम्नलिखित परियोजनाओं के निर्माण के लिए सामग्री का उपयोग किया जाएगा न कि सामग्री की बिक्री या व्यापार के लिए:

(i)

(ii)

ग्राहक पुष्ट करता है कि इस समझौते ज्ञापन के साथ संलग्न सूची की संस्थाओं की ....संख्या ग्राहक के समूह/संबद्ध सहयोगी है और यह स्वीकृत किया जाता है कि इन इकाइयों द्वारा ली गई सामग्री को समझौता ज्ञापन के अधीन माना जाएगा|

यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड और ग्राहक के बीच यह समझौता ज्ञापन दबावपूर्ण संविदा नहीं है तथा शाखा स्तर पर सीधे वितरण/स्टॉकयार्ड प्रेषण के माध्यम से उपलब्धता के आधार पर लौह व इस्पात माल की आपूर्ती के लिए पार्टियों के बीच समझौता ज्ञापन पर भविष्य में संविदा(ओं) पर हस्ताक्षर होगा|

समझौता ज्ञापन के निबंधन व शर्तें संलग्नक में विस्तृत रूप में हैं(अनुलग्नक-अ)|

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अधिकारी का नाम व पदनाम

ग्राहक/ समूह/संबद्ध सहयोगी के प्राधिकृत अधिकारी का नाम व पदनाम

अनुलग्नक-अ

वर्ष 2010-11 के लिए समझौता ज्ञापन

1.0 **उद्देश्य**:

1.1 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का उद्देश्य यह है कि माँग व बाजार के सामर्थ्य का अनुमान करते हुए उत्पादन की योजना के लिए निर्णय और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को इस्पात उत्पाद की आपूर्ती करने हेतु सुविधा उपलब्ध करना|

2.0 समझौता ज्ञापन के सामान्य निबंधन:

2.1 समझौता ज्ञापन...............2010 से .... की अवधि तक होगी|

2.2 समझौता ज्ञापन की मात्रा की सफलतापूर्वक पूर्ति करने पर ग्राहक फ्लॉट सीमा के अधीन सफलतापूर्वक समझौता ज्ञापन की पूर्ति के लिए निम्न सूचितानुसार कुल मात्रा प्रोत्साहन के पात्र होंगे, बशर्ते कि निम्नलिखितानुसार पात्रता की पूर्ति हो|

कुल मात्रा प्रोत्साहन में रुपए प्रति एम टी	**पी एस-1** वर्ष 2010-11 में उठाई (एम टी)

2.3 अनुच्छेद 2.11 के अनुसार तिमाही मात्रा और समझौता ज्ञापन की मात्रा/संशोधित समझौता ज्ञापन की मात्रा में से न्यूनतम 90% उठाई करने वाले ग्राहक टी क्यू आई के पात्र होंगे और समझौता ज्ञापन की पूर्ति में सफल माने जाएँगे|

2.4 ग्राहक द्वारा उठाई गयी सभी मात्राएँ (समझौता ज्ञापन में सूचित उत्पाद), समझौता ज्ञापन की पूर्ति के लिए विचार किए जाएंगे| हालांकि, सामान्य बिक्री (अग्रिम आदेश तथा स्थल पर बिक्री) के माध्यम से उठाई गई मात्रा के लिए टी क्यू आई लागू होगा| निविदा और ई-नीलामी के माध्यम से उठाई गई मात्रा को समझौता ज्ञापन की पूर्ति के लिए विचार किया जा सकता है और इन मात्राओं पर टी क्यू आई लागू नहीं होगा| यदि समझौता ज्ञापन अधिक संख्या में हो तो, ऐसी मात्राओं को अन्य समझौते ज्ञापन के बीच ग्राहक के वांछितानुसार वितरण किया जा सकता है| ग्राहक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के समय ऐसे विकल्प को दे सकते हैं|

2.5 समूह/संबद्ध सहायकों द्वारा उठाई गई सभी मात्राओं को इस समझौते ज्ञापन से संलग्न ग्राहक को टी क्यू आई योजना के अधीन लागू सीमा निर्धारित करने हेतु शामिल करने की अनुमति दी जाएगी| बाद के दिनों में भी सूची में नए समूह/संबद्ध सहायक को शामिल करने हेतु ग्राहक को पंजीकरण प्रमाणपत्र या उनके संघ की सत्यता को प्रस्तुत करना पड़ेगा|

2.6 परस्पर करार के आधार पर समझौता ज्ञापन के अधीन मात्राओं को बढ़ाया जा सकते हैं, बशर्ते कि अनुरोध की प्राप्ति के समय उठाई गई मात्रा समझौता ज्ञापन की मात्रा से 90% कम हो| समझौता ज्ञापन की अवधि की समाप्ति के कम से कम तीन महीने पहले ग्राहक द्वारा इस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है| चूंकि परियोजना ग्राहक की आवश्यकता निर्माण अनुसूचियों और नए कार्यों की प्राप्ति पर निर्भर होता है, अतः उन्हें समझौता ज्ञापन की अवधि में इस विकल्प को दो बार उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी| हालांकि, वित्तीय वर्ष के आखिरी तिमाही में मात्राओं में वृद्धि के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी|

2.7 समझौता ज्ञापन के अधीन मात्राओं को मूल समझौता ज्ञापन की मात्रा के 90% तक कम किया जा सकता है। समझौता ज्ञापन की अवधि की समाप्ति के कम से कम तीन महीने पहले ग्राहक द्वारा इस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को समझौता ज्ञापन की अवधि के दौरान किसी भी समय समझौता ज्ञापन की मात्रा को 90% तक कम करने का विकल्प है।

2.8 पात्र मात्रा की उठाई करने पर टी क्यू आई का भुगतान किया जाएगा, बशर्ते कि सफलतापूर्वक समझौता ज्ञापन की पूर्ति हो, लेकिन मूल/बढ़ाई गई समझौता ज्ञापन की मात्रा अधिकतम 120% तक उठाई गई हो। नीति के अधीन दी गयी अनुमति के अनुसार ग्राहक यदि मात्रा को कम करने के विकल्प का उपयोग किए जाने पर, समझौता ज्ञापन की कम की गयी मात्रा पर टी क्यू आई लागू होगा। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा मात्रा को कम करने का विकल्प का उपयोग किए जाने पर, कम की गयी समझौता ज्ञापन की मात्रा का 120% तक टी क्यू आई लागू होगा।

2.9 फ्लेट सीमा के आधार पर उपर्युक्त सारणी 2.2 में सूचीतानुसार समझौता ज्ञापन की मात्रा के अनुरूप ग्राहक टी क्यू आई के लिए पात्र होंगे। टी क्यू आई की राशि पूर्ण और एकमुश्त होगी और सीमा शुल्क, शिक्षा कर, बिक्री कर, वेट आदि जैसे सांविधिक उगाही के लिए किसी प्रकार के समायोजन के बिना साख सूचना के माध्यम से जारी की जाएगी।

2.10 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा समझौता ज्ञापन की अवधि के पिछले महीने के दौरान यदि आमोदित आदेशों के तहत माल की आपूर्ती नहीं किए जाने पर, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड अपने विवेक से ऐसी मात्राओं की पूर्ति करने या तत्पश्चात महीने के लिए समझौता ज्ञापन की अवधि को बढ़ाने के संबंध में विचार कर सकता है।

2.11 विनिर्दिष्ट स्थिति (ग्राहक से स्वीकृत प्रतिशत निम्नसूचितानुसार होनी चाहिए) के अलावा टी क्यू आई के पात्र होने के लिए ग्राहकों को न्यूनतम उठाई द्वारा दिए गए मानदंडों की पूर्ती करनी है।

अ) तिमाही-1 के समझौता ज्ञापन – प्रथम दो तिमाहियों में 40%, यानि दि.30 सितंबर, 2010 तक।
आ) तिमाही-2 के समझौता ज्ञापन – तिमाही–2 में 20%, तिमाही 2 व 3 में 55%.
इ) तिमाही–3 के समझौता ज्ञापन – तिमाही-3 में 40%.
ई) वार्षिक पूर्ती-कुल समझौता ज्ञापन का 90%

उपर्युक्त (अ), (आ), (इ) में सूचित मानदंड के अनुसार पूर्ती करने में विफल ग्राहक, उपर्युक्त (ई) की पूर्ती करने पर लागू अनुसार उपलब्ध टी क्यू आई राशि का 90% के लिए पात्र होंगे। निर्दिष्ट तिमाही के अंत में समझौता ज्ञापन की मात्रा पर प्रतिशतता लागू होगी। अनुसूची पर/कार्य की प्रगत, विविध प्रतिशतताएँ परियोजनाओं की आवश्यकताओं के आधार पर महा प्रबंधक (विपणन) के अनुमोदन से स्वीकृत की जाएगी।

2.12 समझौता ज्ञापन के निबंधन सामान्यतः बिक्री नीति के निबंधनों से मार्गदर्शित है, जो वेबसाईट में उपलब्ध है। फिर भी, उपर्युक्त सूचित विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में, विभेद होने पर, बिक्री नीति में सूचित प्रावधानों का अधिक्रमण होगा।

अनुलग्नक-II

<u>परियोजना बिक्री के अधीन उत्पाद माँगनेवाली कंपनी अपने पत्र शीर्ष पर वचन देने हेतु प्रपत्र</u>

<u>{संदर्भ खंड संख्या.1.0}</u>

सेवा में

वरिष्ठ शाखा प्रबंधक

शाखा बिक्री कार्यालय

शाखा

प्रिय महोदय,

मैं/हम निम्नलिखित परियोजना(ओं) के लिए आपके संगठन से इस्पात खरीदने हेतु इच्छुक है/हैं:

i)
ii)
iii)

मैं/हम एतद्वारा पुष्टि देता हूँ/देते हैं कि उपर्युक्त कथित परियोजना(ओं) के निर्माण हेतु उत्पाद का उपयोग किया जाएगा और मैं/हम उपर्युक्त सूचित परियोजनाओं हेतु लिए गए उत्पाद को बेचने या व्यापार के लिए उपयोग नहीं करूँगा/करेंगे|

सधन्यवाद,

भवदीय,

<u>सूचना:</u> वैयक्तिक रूप से मकान निर्माता हो तो, निर्माण के लिए प्रस्तावित मकान का विवरण ग्राहक के संपूर्ण पता के साथ उपलब्ध की गयी जगह में सूचित करना होगा|

***